प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–मेरठ/इलाहाबाद/आगरा/लखनऊ।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/F-IMNCI-SN/18–27/2015–16/9986-4 दिनांक 1/2/16

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सो हेतु 5 दिवसीय फैसिलिटी बेस्ड–इन्टीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ इनफैन्ट एण्ड चाइल्डहुड इलनेस (F-IMNCI) प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु स्वास्थ्य ईकाईयों पर कार्यरत सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता वृद्धि के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रथम सन्दर्भन इकाइयों (एफ.आर.यू.) पर संस्थागत प्रसवों की संख्या अधिक है, प्रसव कक्ष एवं प्रसवोत्तर वार्ड में 48 घंटे तक नवजात शिशुओं की समुचित देखभाल कर शिशृ मृत्युदर में कमी लाई जा सकती है। इसके लिये चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफनर्स की क्षमता वृद्धि करना परम आवश्यक है।

2. उपर्युक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फैसिलिटी बेस्ड–इन्टीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ इनफैन्ट एण्ड चाइल्डहुड इलनेस (F-IMNCI) प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों (FRU) एवं प्रसव इकाईयों पर तैनात स्टाफनर्स की क्षमता वृद्धि F-IMNCI प्रशिक्षण दिलाया जाना है। प्रशिक्षण के उपरान्त जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के न्यूबॉर्न केयर कार्नर, (NBCC) न्यूबॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट (NBSU) एवं सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) इत्यादि में नवजात शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को बेहतर रूप में प्रदान कर सकेंगे।

3. फैसिलिटी बेस्ड–इन्टीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ इनफैन्ट एण्ड चाइल्डहुड इलनेस (F-IMNCI) प्रशिक्षण आपके जनपद के मेडिकल कॉलेजों में बाल रोग विभाग/कम्युनिटी मेडिसन विभाग के सहयोग से प्रदेश में कार्यरत स्टाफनर्सों को उक्त विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जाना है, इसमें जनपद के ज़िला चिकित्सालय एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में कार्यरत स्टाफ नर्सो को प्रशिक्षित किया जायेगा। F-IMNCI प्रशिक्षण के विषय में दिशा निर्देश निम्नवत दिये जा रहे है–

- भारत सरकार द्वारा प्रदेश के चयनित मेडिकल कॉलेजों में F-IMNCI प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाने के लिये नीचे दी गयी तालिकानुसार बैच अनुमोदित किये गये है।
- अनुमोदित बैचों के लिये मेडिकल कालेजवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। जनपद के मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रशिक्षण कलैन्डर तैयार करने एवं मॉग पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त मेडिकल कॉलेजों को धनराशि इलैक्ट्रॉनिक रूप से स्थानान्तरित की जायेगी।
- राज्य स्तर पर प्रशिक्षित टीम द्वारा ही प्रशिक्षण का कार्य कराया जाये।
- प्रशिक्षकों का चयन इस प्रकार से किया जाये कि उनके 5 दिन तक प्रशिक्षण कार्य में रहने पर विभागीय/चिकित्सालय का कार्य प्रभावित न हो।
- प्रत्येक सत्र में 3 प्रशिक्षक प्रति दिन यानी सभी 5 दिनों के लिये तथा 2 क्लीनिकल प्रशिक्षक केवल क्लीनिकल सत्र हेतु प्रशिक्षक का कार्य करेंगे। एक बैच में कुल 16 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतिभागियों को 8–8 के 2 समूहों में बैठाकर प्रशिक्षण का कार्य कराया जाय। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रशिक्षक अपने समूह की गुणवत्ता पर ध्यान दें।
- प्रत्येक दिन प्रशिक्षण के उपरान्त शाम के समय प्रशिक्षक एक साथ बैठकर दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा करें तथा जो कमियाँ दृष्टिगत हों उन्हें दूर करने का प्रयास करें एवं अगले दिन की तैयारियों की समीक्षा कर लें। प्रतिदिन की कार्यवाही को रजिस्टर पर दर्ज कर लें एवं सभी प्रशिक्षक

उसमें हस्ताक्षर करें। नोडल अधिकारी द्वारा रजिस्टर में दर्ज कार्यवाही की समीक्षा प्रतिदिन की जाय एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण मानकः–

Financial Norms for 5 days Staff Nurse F-IMNCI Training at Medical Colleges Under CCSP (16 Participants per Batch)					
Budget for one batch					
S.N.	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of part.**	**Days**	**Total**
a	Perdiem to participants(Staff Nurse)	300	16	5	24000.00
b	Honorarium to trainers doctors@ Rs.1000/day	1000	4	5	20000.00
c	Honorarium to Clenical trainers doctors@ Rs.1000/day	1000	2	4	8000.00
d	Food to trainer Working Lunch	200	6	5	6000.00
e	Food to Participants Breakfast,Tea, Lunch,Dinner	250	16	5	20000.00
f	Course material and contingency (training related documents and other accessory materials)	250	16	5	20000.00
g	Stay arrangement for participants	900	16	5	72000.00
h	Institutional overheads Fix Rs.15000.00				15000.00
i	Vehicle up to Rs.1200	1200	2	5	12000.00
j	TA to participants (as per Govt. Rule)	1000	16	1	16000.00
I	**Cost of one Batch (Sub Total)**				**213000.00**
	For State Observers				
a	Honrarium for State Guest faculty/Monitor	1000	1	2	2000.00
b	Stay arrangement for State Guest faculty/Monitor	2500	1	2	5000.00
c	TA to State Faculty as per Govt Rule	2500	1	1	2500.00
II	**Cost of one Batch (Sub Total)**				**9500.00**
	Total (I+II)				**222500.00**

4. <u>वित्त पोषण</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदित F-IMNCI प्रशिक्षण सत्र मेडिकल कालेज में आयोजित किये जाने हेतु FMR Code-A.9.5.2.3 **पर** जनपदवार नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

Details of funds for Medical Colleges for SNs F-IMNCI, Training FY (2015-16)					
S. N.	District	**Medical College**	**F-IMNCI Trg. Staff Nurse**		
			No of Batchs	Total fund per Batch	Total Funds to be released to DHS
	FMR Code		**A.9.5.2.3**		
1	Meerut	Deptt. of Ped., LLR Med. College, Meerut	5	222500	1112500
2	Allahabad	Deptt. of SPM/Ped., MLN Medical College, Allahabad	7	222500	1557500
3	Agra	Deptt. of SPM. SN Medical College, Agra	4	222500	890000
4	Lucknow	Deptt. of Ped. CSM Medical University, Lucknow	7	222500	1557500
	Total fund		**23**	**222500**	**51.18**

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण सत्रों के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रशिक्षणों हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी प्राप्त कर ली जाये एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः–

- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय इसे शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
- प्रत्येक माह प्रशिक्षण का मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
- इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही किये जायेगें।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण की प्रत्येक माह के 5 तारीख़ तक व्यय विवरण एवं प्रशिक्षण की भौतिक प्रगति रिपोर्ट सम्बंधित मेडिकल कॉलेज से प्राप्त कर उसकी प्रति संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को भेजी जाये। मेडिकल कॉलेजों में संचालित किये जा रहे उक्त प्रशिक्षण का समयबद्ध संचालन, गुणवत्ता हेतु नियमित अनुश्रवण करें तथा कोई भी समस्या होने पर उसका निराकरण करने का प्रयास करें। कृपया उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

23/1/16

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/F-IMNCI-SN/18–27/2015–16/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
3. **प्रधानाचार्य,** एल0एल0आर0 मेडिकल कॉलेज, **मेरठ**/एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/ /
4. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग एवं कम्युनिटी मेडिसन,** एल0एल0आर0, मेडिकल कॉलेज, **मेरठ**/एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ।**
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग एवं कम्युनिटी मेडिसन से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र धनराशि अवमुक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डा0 काजल)
अपर मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–मेरठ/इलाहाबाद/आगरा/लखनऊ।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/F-IMNCI-SN/18–27/2015–16/ **दिनांक** 1/2/16

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सो हेतु 5 दिवसीय फैसिलिटी बेस्ड–इन्टीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ इनफैन्ट एण्ड चाइल्डहुड इलनेस (F-IMNCI) प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु स्वास्थ्य ईकाईयों पर कार्यरत सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता वृद्धि के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रथम सन्दर्भन इकाइयों (एफ.आर.यू.) पर संस्थागत प्रसवों की संख्या अधिक है, प्रसव कक्ष एवं प्रसवोत्तर वार्ड में 48 घंटे तक नवजात शिशुओं की समुचित देखभाल कर शिशृ मृत्युदर में कमी लाई जा सकती है। इसके लिये चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफनर्स की क्षमता वृद्धि करना परम आवश्यक है।

2. उपर्युक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फैसिलिटी बेस्ड–इन्टीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ इनफैन्ट एण्ड चाइल्डहुड इलनेस (F-IMNCI) प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों (FRU) एवं प्रसव इकाईयों पर तैनात स्टाफनर्स की क्षमता वृद्धि F-IMNCI प्रशिक्षण दिलाया जाना है। प्रशिक्षण के उपरान्त जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के न्यूबॉर्न केयर कार्नर, (NBCC) न्यूबॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट (NBSU) एवं सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) इत्यादि में नवजात शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को बेहतर रूप में प्रदान कर सकेंगे।

3. फैसिलिटी बेस्ड–इन्टीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ इनफैन्ट एण्ड चाइल्डहुड इलनेस (F-IMNCI) प्रशिक्षण आपके जनपद के मेडिकल कॉलेजों में बाल रोग विभाग/कम्युनिटी मेडिसन विभाग के सहयोग से प्रदेश में कार्यरत स्टाफनर्सों को उक्त विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जाना है, इसमें जनपद के ज़िला चिकित्सालय एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में कार्यरत स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षित किया जायेगा। F-IMNCI प्रशिक्षण के विषय में दिशा निर्देश निम्नवत दिये जा रहे है–

- भारत सरकार द्वारा प्रदेश के चयनित मेडिकल कॉलेजों में F-IMNCI प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाने के लिये नीचे दी गयी तालिकानुसार बैच अनुमोदित किये गये है।
- अनुमोदित बैचों के लिये मेडिकल कालेजवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। जनपद के मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रशिक्षण कलैन्डर तैयार करने एवं मॉग पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त मेडिकल कॉलेजों को धनराशि इलैक्ट्रॉनिक रूप से स्थानान्तरित की जायेगी।
- राज्य स्तर पर प्रशिक्षित टीम द्वारा ही प्रशिक्षण का कार्य कराया जाये।
- प्रशिक्षकों का चयन इस प्रकार से किया जाये कि उनके 5 दिन तक प्रशिक्षण कार्य में रहने पर विभागीय/चिकित्सालय का कार्य प्रभावित न हो।
- प्रत्येक सत्र में 3 प्रशिक्षक प्रति दिन यानी सभी 5 दिनों के लिये तथा 2 क्लीनिकल प्रशिक्षक केवल क्लीनिकल सत्र हेतु प्रशिक्षक का कार्य करेंगे। एक बैच में कुल 16 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतिभागियों को 8–8 के 2 समूहों में बैठाकर प्रशिक्षण का कार्य कराया जाय। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रशिक्षक अपने समूह की गुणवत्ता पर ध्यान दें।
- प्रत्येक दिन प्रशिक्षण के उपरान्त शाम के समय प्रशिक्षक एक साथ बैठकर दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा करें तथा जो कमियाँ दृष्टिगत हों उन्हें दूर करने का प्रयास करें एवं अगले दिन की तैयारियों की समीक्षा कर लें। प्रतिदिन की कार्यवाही को रजिस्टर पर दर्ज कर लें एवं सभी प्रशिक्षक

उसमें हस्ताक्षर करें। नोडल अधिकारी द्वारा रजिस्टर में दर्ज कार्यवाही की समीक्षा प्रतिदिन की जाय एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण मानकः—

Financial Norms for 5 days Staff Nurse F-IMNCI Training at Medical Colleges Under CCSP (16 Participants per Batch)					
Budget for one batch					
S.N.	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of part.**	**Days**	**Total**
a	Perdiem to participants(Staff Nurse)	300	16	5	24000.00
b	Honorarium to trainers doctors@ Rs.1000/day	1000	4	5	20000.00
c	Honorarium to Clenical trainers doctors@ Rs.1000/day	1000	2	4	8000.00
d	Food to trainer Working Lunch	200	6	5	6000.00
e	Food to Participants Breakfast,Tea, Lunch,Dinner	250	16	5	20000.00
f	Course material and contingency (training related documents and other accessory materials)	250	16	5	20000.00
g	Stay arrangement for participants	900	16	5	72000.00
h	Institutional overheads Fix Rs.15000.00				15000.00
i	Vehicle up to Rs.1200	1200	2	5	12000.00
j	TA to participants (as per Govt. Rule)	1000	16	1	16000.00
I	**Cost of one Batch (Sub Total)**				**213000.00**
	For State Observers				
a	Honrarium for State Guest faculty/Monitor	1000	1	2	2000.00
b	Stay arrangement for State Guest faculty/Monitor	2500	1	2	5000.00
c	TA to State Faculty as per Govt Rule	2500	1	1	2500.00
II	**Cost of one Batch (Sub Total)**				**9500.00**
	Total (I+II)				**222500.00**

4. <u>वित्त पोषण</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदित F-IMNCI प्रशिक्षण सत्र मेडिकल कालेज में आयोजित किये जाने हेतु FMR Code-A.9.5.2.3 **पर** जनपदवार नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

Details of funds for Medical Colleges for SNs F-IMNCI, Training FY (2015-16)					
S. N.	District	**Medical College**	**F-IMNCI Trg. Staff Nurse**		
			No of Batchs	Total fund per Batch	Total Funds to be released to DHS
	FMR Code		**A.9.5.2.3**		
1	Meerut	Deptt. of Ped., LLR Med. College, Meerut	5	222500	1112500
2	Allahabad	Deptt. of SPM/Ped., MLN Medical College, Allahabad	7	222500	1557500
3	Agra	Deptt. of SPM. SN Medical College, Agra	4	222500	890000
4	Lucknow	Deptt. of Ped. CSM Medical University, Lucknow	7	222500	1557500
	Total fund		**23**	**222500**	**51.18**

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण सत्रों के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रशिक्षणों हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी प्राप्त कर ली जाये एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः—

- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय इसे शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
- प्रत्येक माह प्रशिक्षण का मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
- इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012—13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96—2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई—पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही किये जायेगें।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण की प्रत्येक माह के 5 तारीख़ तक व्यय विवरण एवं प्रशिक्षण की भौतिक प्रगति रिपोर्ट सम्बंधित मेडिकल कॉलेज से प्राप्त कर उसकी प्रति संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को भेजी जाये। मेडिकल कॉलेजों में संचालित किये जा रहे उक्त प्रशिक्षण का समयबद्ध संचालन, गुणवत्ता हेतु नियमित अनुश्रवण करें तथा कोई भी समस्या होने पर उसका निराकरण करने का प्रयास करें। कृपया उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/CH/F-IMNCI-SN/18—27/2015—16/ 9986-4-6 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
3. **प्रधानाचार्य,** एल0एल0आर0 मेडिकल कॉलेज, **मेरठ/**एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद/**एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा/ /**
4. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग एवं कम्युनिटी मेडिसन,** एल0एल0आर0, मेडिकल कॉलेज, **मेरठ/**एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा**/किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ।**
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग एवं कम्युनिटी मेडिसन से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र धनराशि अवमुक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डा0 काजल)
अपर मिशन निदेशक